

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 138.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, जयेष्ठ हिंदी अनुवादक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, जयेष्ठ हिंदी अनुवादक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, जयेष्ठ हिंदी अनुवादक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)

I. नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं";

II. उक्त नियमों की अनुसूची के स्तंभ (4) में, -

(क) जयेष्ठ हिंदी अनुवादक पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) के, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/-रुपए)",

(ii) स्तंभ (11) के,- "टिप्पण 2" का लोप किया जाएगा;

(ख) कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) के, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रुपए)"

(ii) स्तंभ (10) के "वेतन बैंड - 1 (रुपये 5200-20200)+ग्रेड वेतन 2800/- रुपये" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रुपये)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएँगे;

[फा. सं. ए-12018/36/2017-ई-III]

अमित कुमार सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 02 जून, 2012 में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 131, तारीख 25 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATIONNew Delhi, the 27th April, 2018

G.S.R. 138.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Senior Hindi Translator and Junior Hindi Translator, Group 'B' Post Recruitment Rules 2012, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Senior Hindi Translator and Junior Hindi Translator Group 'B' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Senior Hindi Translator and Junior Hindi Translator, Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2012,-

I. for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

“2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix.—The number of the said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;

II. In the Schedule,-

(a) against serial number 1 relating to the post of Senior Hindi Translator,-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

“Level in pay matrix
(4)
Level -7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix.”;

(ii) in column (11), Note 2 shall be omitted;

(b) against serial number 1 relating to the post of Junior Hindi Translator,-

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

“Level -6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.”;
--

(ii) in column (10), for the words and figures “pay band -1 Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800”, the words, figures and brackets “Level -5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix” shall be substituted.

[F. No. A-12018/36/2017-E-II]

AMIT KUMAR SINGH, Under Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 2nd June, 2012, vide notification number G.S.R. 131, dated the 25th May, 2012.